

पटवारी रिपोर्ट  
 श्रीमानजी, ग्राम हाल के खाता सं. 579 में खातेदार का नाम रामदास 5/10 होगा दर्ज है। प्राची द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड (7427 0929 4808) में रामपाल पुत्र होगा ही अतः आधार कार्ड के अनुसार, जमावती में नाम इस्तकाल करने हेतु रिपोर्ट सेवा में पेश है।

Jalita  
 17/9/25  
 पटवारी

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट  
 संलग्न दस्तावेज व प्राप्ति जानकारी अनुसार खाता सं. 579 में खातेदार रामदास पुत्र होगा के स्थान पर रामपाल पुत्र होगा इन्दाज किया जाना उचित होगा।

शिव  
 17/9/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 प. एच. को रिपोर्ट व भू. अ. अ. की जाँच व आधार पर इस्तकाल की जा रही है।

17/9/25  
 शिव प्रभारी

2025  
 422

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

दिनांक:- 24-9-2025

क्रमांक/141

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्. .... के खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	पटवारी हल्का रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज अनुसार पूर्व राजस्व अभिलेख में श्री प्राची का नाम रामदास ही अंकित है। अतः इन्द्राज दुरुस्ती सिद्ध नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है।					

क्रमांक:- 4922

दिनांक:- 24-9-2025

उत्तिलिपि:- (1) तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थी

(2) आदेश पत्रवली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपस्थित अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर

